मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1999 (फाल्गुन 28,1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री सीता प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्रीमती लक्ष्मी बाई पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ;एवं
(3) श्री नवल किशोर गर्ग, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) तथा धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1996-97 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चनेशराम राठिया, मछली पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, राज्य मंत्री,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय - अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) की धारा 9 (1) (सी) सहपठित धारा 9 (3) की अपेक्षानुसार झाबुआ जिले के नवापारा में घटित घटना के संबंध में राष्ट्रीय-अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सिलारी के आदिवासी कृषकों की भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले की नगर पंचायत चाकघाट में नेशनल हाईवे की भूमि का अवैध पट्टा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, महू के हेमा एवं बेरछा रेंज में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा एवं व्यवस्थापन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के मालथौन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम मन्नाडोल बस्ती अंतर्गत खदान धसकने से तीन श्रमिकों की मौत होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री सुधाकर राव बापट, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिला कलेक्टर द्वारा जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के वन परिक्षेत्र डोंगरगांव अंतर्गत वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अजय विश्नोई, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, जबलपुर जिले के आपनपुरी निवासी एक वृद्ध महिला को जिन्दा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सालयों में दिल की बीमारी के इलाज हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बाबूलाल मीर, सदस्य, बैतूल जिले के पाथाखेड़ा स्थित कोयले की आठ खदानें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रणवीर सिंह रावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा नगर में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम जसों में एक युवक पर प्राणघातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, हरषद मेहता, सदस्य, धमतरी जिले में स्थित राईस मिलों में कार्यरत श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, उज्जैन की राजूनगर कालोनी झुग्गी निवासी एक लड़की को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 11 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या 36	परिवहन
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या 18	श्रम
		मांग संख्या 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
3 घन्टे	(4)	मांग संख्या 03	पुलिस
		मांग संख्या 04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या 53	दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस
		मांग संख्या 65	विमानन
2 घन्टे	(5)	मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में राजस्व ग्रामों के जिन मजरा, टोलो को आबाद होने के बावजूद राजस्व अभिलेख में आबादीयुक्त घोषित नहीं किया गया, उन्हें अविलम्ब आबाद घोषित किया जाय."

(2) डॉ. ढालसिंह बिसेन, कुंवर तेंज सिंह सेंधव तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में आसन्न विद्युत संकट को देखते हुए प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य के लिये जनरेटर एवं डीजल पम्प खरीदने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान राशि शासन द्वारा प्रदान की जावे".

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

60 मि. " सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में संचालित अन्य राज्यों की एवं अन्य देशों की लाटरी को प्रतिबंधित करने हेतु शासन पहल करे".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 मार्च, 1999